

अधिसूचना संख्यांक 02/2021-सीमाशुल्क से 15/2021-सीमा शुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2021 का स्पष्टीकारक ज्ञापन :-

क्रम सं.	अधिसूचना सं.	वर्णन
1.	02/2021-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2021	अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 का और संशोधन करने के लिए है जिससे कि बेसिक सीमाशुल्क कर (बीसीडी) का प्रभावी दर विहित किया जा सके ।
2.	03/2021-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2021	अधिसूचना सं. 57/2017- सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 का और संशोधन करने के लिए है जिससे कि आईटी/इलेक्ट्रॉनिक मर्चों पर प्रभावी बीसीडी दर विहित किया जा सके ।
3.	04/2021-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2021	अधिसूचना सं. 25/99-सीमाशुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1999 का और संशोधन करने के लिए है जिससे कि ट्रांसफार्मर के विनिर्दिष्ट पुर्जों पर बीसीडी छूट वापस लिया जा सके ।
4.	05/2021-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2021	अधिसूचना सं. 24/2005-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005 का और संशोधन करने के लिए जिससे कि उक्त सूचना के क्रम सं. 13एस की प्रविष्टि के अधीन छूट की व्याप्ति को स्पष्ट किया जा सके ।
5.	06/2021-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2021	अधिसूचना सं. 08/2020-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2020 का और संशोधन करने के लिए है जिससे कि अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों और कूटनीतिक मिशन द्वारा आयातित चिकित्सा उपकरणों को स्वास्थ्य उपकरण के अधिग्रहण से छूट दिया जा सके ।
6.	07/2021-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2021	अधिसूचना सं. 1/2011-सीमाशुल्क, तारीख 6 जनवरी, 2011, 34/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 और 75/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 सितम्बर, 2017 का विखंडन करने के लिए है ।
7.	08/2021-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2021	अधिसूचना सं. 153/94-सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994 का और संशोधन करने के लिए है जिससे कि उक्त सूचना द्वारा छूट प्राप्त मालों में फिल्म बनाने के लिए पहनावे और प्रोप के अस्थायी आयातों को सम्मिलित किया जा सके ।
8.	09/2021-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2021	अधिसूचना सं. 42/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 का और संशोधन करने के लिए है जिससे कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के शीर्षक 9801 के अधीन विनिर्दिष्ट परियोजनाओं की सूची में उपयुक्त संशोधन किया जा सके ।
9.	10/2021-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2021	अधिसूचना सं. 230/86-सीमाशुल्क, तारीख 3 अप्रैल, 1986 का और संशोधन करने के लिए है जिससे कि राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड को उच्च गति रेल परियोजनाओं के प्रायोजक प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जा सके ।
10.	11/2021-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2021	विनिर्दिष्ट मालों के लिए कृषि अवसंरचना और विकास उपकरण का प्रभावी दर विहित करने के लिए है ।
11.	12/2021-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2021	अधिसूचना सं. 12/2018 तारीख 2 फरवरी, 2018 का विखंडन करने के लिए है ।

12.	13/2021-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2021	सोने और चांदी पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर पर उदग्रहणीय सामाजिक कल्याण अधिभार की छूट प्रदान करने के लिए है।
13.	14/2021-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2021	कूड या बेतरतीव ट्रीम्ड या ब्लॉक मार्बल या ट्रेवरटाईम पर उदग्रहणीय सामाजिक कल्याण अधिभार की छूट प्रदान करने के लिए है।
14.	15/2021-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2021	अधिसूचना सं. 82/2017-सीमाशुल्क, तारीख 27 अक्टूबर, 2017 का और संशोधन करने के लिए है।

अधिसूचना संख्यांक 09/2021-सीमाशुल्क (एनटी) से 12/2021-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2021 का स्पष्टीकारक ज्ञापन :-

क्रम सं.	अधिसूचना सं.	वर्णन
1.	9/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.), तारीख 2 फरवरी, 2021	सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए है ।
2.	10/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.), तारीख 1 फरवरी, 2021	प्रतिबंधन अन्वेषण का अनंतिम निर्धारण सुकर बनाने के लिए सीमाशुल्क (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटित शुल्क की पहचान, निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए और कतिपय अन्य प्रकीर्ण परिवर्तन करने के लिए है ।
3.	11/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.), तारीख 1 फरवरी, 2021	प्रतिबंधन अन्वेषण का अनंतिम निर्धारण सुकर बनाने के लिए सीमाशुल्क टैरिफ (सहायकी वस्तुओं पर प्रतिशुल्क की शुल्क की पहचान, निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए और कतिपय अन्य प्रकीर्ण परिवर्तन करने के लिए है ।
4.	12/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.), तारीख 1 फरवरी, 2021	टैरिफ रेट कोटा सहित सुरक्षा उपाय के उपयोजन की रीति का उपबंध करने के लिए सीमाशुल्क टैरिफ (सुरक्षा उपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियम, 1997 का और संशोधन करने के लिए तथा कतिपय अन्य प्रकीर्ण परिवर्तन करने के लिए है ।

अधिसूचना संख्यांक 05/2021-सीमाशुल्क (एडीडी) से 07/2021-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2021 का स्पष्टीकारक ज्ञापन :-

क्रम सं.	अधिसूचना सं.	वर्णन
1.	05/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), तारीख 1 फरवरी, 2021	अधिसूचना सं. 54/2018-सीमाशुल्क (एडीडी), तारीख 18 अक्टूबर, 2018 का और संशोधन करने के लिए जिससे कि 2 फरवरी, 2021 से 30 सितम्बर, 2021 की अवधि तक उक्त अधिसूचना के प्रचालन का अस्थायी रूप से प्रतिसंहरण किया जा सके ।
2.	06/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), तारीख 1 फरवरी, 2021	अधिसूचना सं. 38/2019-सीमाशुल्क (एडीडी), तारीख 25 सितम्बर, 2019 का और संशोधन करने के लिए जिससे कि 2 फरवरी, 2021 से 30 सितम्बर, 2021 की अवधि तक उक्त अधिसूचना के प्रचालन का अस्थायी रूप से प्रतिसंहरण किया जा सके ।
3.	07/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), तारीख 1 फरवरी, 2021	अधिसूचना सं. 16/2020-सीमाशुल्क (एडीडी), तारीख 23 जून, 2020 का और संशोधन करने के लिए जिससे कि 2 फरवरी, 2021 से 30 सितम्बर, 2021 की अवधि तक उक्त अधिसूचना के प्रचालन का अस्थायी रूप से प्रतिसंहरण किया जा सके ।

**अधिसूचना संख्यांक 01/2021-सीमाशुल्क (एडीडी) से 02/2021-सीमाशुल्क (सीवीडी),
तारीख 1 फरवरी, 2021 का स्पष्टीकारक ज्ञापन :-**

क्रम सं.	अधिसूचना सं.	वर्णन
1.	01/2021-सीमाशुल्क (सीवीडी), तारीख 1 फरवरी, 2021	अधिसूचना सं. 02/2020 – सीमाशुल्क (सीवीडी), तारीख 9 अक्टूबर, 2020 का विखंडन करने के लिए है ।
2.	02/2021-सीमाशुल्क (सीवीडी), तारीख 1 फरवरी, 2021	अधिसूचना सं. 01/2017 – सीमाशुल्क (सीवीडी), तारीख 7 सितम्बर, 2017 का और संशोधन करने के लिए है जिससे कि तारीख 2 फरवरी, 2021 से तारीख 30 सितम्बर, 2021 तक की अवधि के लिए उक्त अधिसूचना के प्रचालन को अस्थायी रूप से प्रतिसंहत किया जा सके ।

अधिसूचना संख्यांक 01/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2021 से 07/2021 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 1 फरवरी, 2021 तक का स्पष्टीकारक ज्ञापन :-

क्रम सं.	अधिसूचना सं.	वर्णन
1.	01/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2021	अधिसूचना सं. 11/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि बेसिक उत्पाद शुल्क का प्रभावी दर विहित किया जा सके और समुचित उत्पाद शुल्क में कृषि और अवसंरचना और विकास उपकर के प्रतिनिर्देश को जोड़ा जा सके ।
2.	02/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2021	अधिसूचना सं. 05/2019-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 06 जुलाई, 2019 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि पेट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का प्रभावी दर विहित किया जा सके ।
3.	03/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2021	मिश्रित फ्यूल पर कृषि और अवसंरचना और विकास उपकर की छूट प्रदान करने के लिए है ।
4.	04/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2021	अधिसूचना सं. 28/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 13 मई, 2002 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से एम-15 और ई-20 फ्यूल को छूट प्रदान किया जा सके और समुचित उत्पाद में कृषि और अवसंरचना और विकास उपकर के प्रतिनिर्देश को जोड़ा जा सके ।
5.	05/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2021	एम-15 फ्यूल को सड़क और अवसंरचना उपकर से छूट प्रदान करने के लिए है ।
6.	06/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2021	ई-20 फ्यूल को सड़क और अवसंरचना उपकर से छूट प्रदान करने के लिए है ।
7.	07/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2021	अधिसूचना सं. 10/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 11/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 12/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और 13/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सभी की तारीख 2 फरवरी, 2018 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि समुचित उत्पाद शुल्क में कृषि और अवसंरचना और विकास उपकर के प्रतिनिर्देश को जोड़ा जा सके ।